

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ...C/359...../

जबलपुर, दिनांक 10 / 01 / 2024

II-14-100/23

कु. प्रियंका बागडे, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 13 – (ii) के अनुसार दिनांक 28.08.2023 से 29.08.2023 तक 2 दिन का अर्जित अवकाश तथा म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 17 एवं नियम 23 के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा पेपर प्रेषित किये जाने से दिनांक 30.08.2023 से 30.09.2023 तक 32 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक ...C/360...../

जबलपुर, दिनांक 10 / 01 / 2024

II-14-100/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/2609 इंदौर दिनांक 20.10.2023 के संदर्भ में कु. प्रियंका बागडे, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का आवेदन पत्र, कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा पेपर्स संलग्न सहपत्रों को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)